ब्रीफ न्यूज़

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

जबलपुर। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल कॉलेज में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कॉलेज प्राचार्य प्रो. अलकेश चतुर्वेदी ने कहा कि बाल श्रम किसी भी सभ्य समाज के लिए गंभीर चुनौती है। कार्यक्रम के संयोजक प्रो. अरुण शुक्ल ने बाल श्रम निषेध से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों एवं शासकीय प्रयासों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों से समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सहायक प्राध्यापक उमा भारती एवं साक्षी मरावी ने भी अपने विचार व्यक्त किये। अंत में बाल श्रम उन्मूलन एवं बाल अधिकार संरक्षण के प्रति सामूहिक संकल्प लिया गया।

कर्मचारी हित में मिलकर कार्य करने का दोहराया संकल्प

जबलपुर। फिनिक्स पोल्ट्री कर्मचारी यूनियन का द्वितीय स्थापना दिवस समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। समारोह में यूनियन के पदाधिकारियों और सैकड़ों कर्मचारियों ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए भविष्य में भी कर्मचारी हित के लिए कार्य करने का संकल्प दोहराया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण दुबे ने अपने संबोधन में मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि, प्रबंधन को आईआर मैकेनिज्म की तर्ज पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कर्मचारी हित में कार्य करना चाहिए। सुरक्षा कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राकेश रंजन ने भी संगठन की मजबूती पर बल दिया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि अखिलेश पटेल, राकेश शर्मा, हृदेश यादव, अनिल गुप्ता, अंकित पटेल और सिकंदर सिंह मंचासीन रहे। कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष कल्लू कुशवाह, सचिव गुरु दयाल यादव और मीडिया प्रभारी दीपक विश्वकर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया।

डबलूसीआरएमएस मुख्यालय शाखा द्वारा विदाई समारोह का आयोजन

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ (डबलूसीआरएमएस) मुख्यालय शाखा द्वारा आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में सेवानिवृत्त हो रहे संगठन सचिव एवं सीसीआई त्रिभुवन सिंह को भावभीनी विदाई दी गई। संगठन के महामंत्री अशोक शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित विदाई समारोह में जबलपुर मंडल सचिव डीपी अग्रवाल और मंडल अध्यक्ष एसएन शुक्ला सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। विदाई समारोह की जानकारी देते हुए मुख्यालय शाखा सचिव सतीश कुमार ने बताया कि हेडक्वार्टर ब्रांच के पदाधिकारी त्रिभुवन सिंह के सेवानिवृत्ति समारोह में महामंत्री द्वारा पुष्पमाला, शॉल एवं गिफ्ट देकर सम्मान किया गया।

डाक पेंशन अदालत के लिए 15 जुलाई तक प्रस्तुत करें आवेदन

जबलपुर। डाक विभाग द्वारा पेंशन से सम्बंधित समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल, जबलपुर में 24 जुलाई को सुबह 11 बजे से पेंशन डाक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। डाक पेंशन धारक समस्याओं का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आगामी 15 जुलाई तक आवेदन वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल, जबलपुर परिक्षेत्र को प्रेषित या प्रस्तुत कर सकते हैं।

डॉ. देवेंद्र ने शोध जर्नल भेंट किया की महाकौशल के विकास पर चर्चा

जबलपुर। मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ आर्थिक परिषद के सचिव एवं जय महाकौशल संस्था के संयोजक डॉ. देवेन्द्र विश्वकर्मा के द्वारा भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष प्रो. राजीव दीक्षित से महाकौशल के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर चर्चा की गई। डॉ. विश्वकर्मा ने उन्हें बताया कि महाकौशल में कृषि उत्पादन बढ़ रहा है परंतु कृषि आधरित उद्योगों की कमी है। शैक्षणिक संस्थाओं को आईटी कौशल एवं उद्योग आधारित शिक्षा देने की आवश्यकता है। इस मौके पर प्रो. दीक्षित को युवा भारत विकसित भारत पर आधारित शोध जर्नल भेंट किया गया।

परीक्षा के 3 महीने बाद भी रिजल्ट न आने से छात्र हो रहे परेशान

जबलपुर। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के एलएलबी तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के छात्रों में परीक्षा के तीन माह बाद भी परिणाम घोषित न होने से आक्रोश व्याप्त है। शुक्रवार को महाकौशल विधि छात्र संघ की ओर से कुलसचिव डॉ. रविशंकर सोनवाल को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र रिजल्ट घोषित करने की मांग की एवं रिजल्ट घोषित न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान महाकौशल विधि छात्र संघ अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने बताया कि एलएलबी तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की परीक्षाओं को संपन्न हुए तीन महीने हो गए है, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं।

बिजली विभाग का घेराव कर कांग्रेस ने की अधिकारियों को निलंबित करने की मांग

गौर में करंट लगने से बालक की मौत के बाद क्षेत्रीयजनों में आक्रोश

● जबलपुर / राज न्यूज नेटवर्क

कैंट विधानसभा अंतर्गत गौर में गत दिनों करंट लगने से 7 वर्षीय बालक की मौत हो गई थी। इससे क्षेत्रीयजनों में बिजली विभाग को लेकर आक्रोश व्याप्त है। शुक्रवार को कैंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा क्षेत्रीयजनों के साथ नारेबाजी करते हुए बिलहरी स्थित बिजली विभाग कार्यालय का घेराव प्रदर्शन किया गया एवं जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की गई।

विभाग को सूचना देने पर भी नहीं हुआ सुधार कार्य

घेराव प्रदर्शन के दौरान कैंट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन कनौजिया ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते यह दुःखद घटना हुई है, क्योंकि बिजली विभाग को सूचना देने पर भी सुधार कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बिजली कंपनी के आला अधिकारियों को इस मौत का सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से बिजली के तार झूल रहे थे, जिसकी लिखित और सीएम हेल्पलाइन भी डाली गई थी, मौखिक सूचना स्थानीय नागरिकों द्वारा लगातार बिजली विभाग को दी जा रही थी। लेकिन लापरवाह अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

तारों में था करंट

मंगलवार की शाम आई तेज आंधी और बारिश के कारण ये जर्जर तार टूटकर खेत में गिर गए, जिनमें करंट दौड़ रहा था। इसी करंट की चपेट में आने से आज सुबह मासूम 7 वर्षीय बालक श्लोक की जान चली गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान पवन कनौजिया, राहुल रजक, भगतराम सिंह, सुभाष चतुर्वेदी, सुरेंद्र पटेल, विजय पांडे, अफसाना अंसारी, नरेश पटेल, दीपक चौधरी, देश राज, राजेश अहिरवार, रेखा रजक, लीजो जसेले, चंदा धानुक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और क्षेत्रीयजन मौजूद रहे।

शा. कला महावि. पनागर में सोक पिट का शुभारंभ

● पनागर / राज न्यूज नेटवर्क

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत शा. कला महाविद्यालय, पनागर में पौधारोपण कार्यक्रम एवं वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने हेतु निर्मित सोक पिट (वॉटर हार्वेस्टिंग संरचना) का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि डॉ. पंजाबराव चंदेलकर, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा जबलपुर रहे, जिन्होंने महाविद्यालय परिसर में सोक पिट का अवलोकन कर उसका शुभारंभ किया तथा परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। उपस्थितों ने पौधों के संरक्षण एवं जल बचाने का संकल्प लिया। इस मौके पर डॉ. प्रफुल्ल कुमार जैन, प्राचार्य, डॉ. पवन शंकर तिवारी आदि अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

पार्षद मकसूद खान ने मुक्तिधाम के लिए दान कर दी निजी भूमि

वर्षों पुरानी समस्या का हुआ समाधान, नागरिकों में हर्ष

● कटंगी / राज न्यूज नेटवर्क

पाटन तहसील अंतर्गत उप तहसील कटंगी में हिन्दू-मुस्लिम एकता और सामाजिक सौहार्द की अनूठी मिसाल सामने आई है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड क्रमांक-9 के पार्षद मकसूद खान ने हिन्दू समाज की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करते हुए मुक्तिधाम निर्माण के लिए अपनी निजी भूमि दान कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड क्रमांक 9 में 225 तिलक वार्डक्रमांक 12 में 600 तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड क्रमांक 13 में करीब 900 हिन्दू परिवार निवास करते हैं। इन वार्डों के लोगों को किसी परिजन के निधन पर अंतिम संस्कार के लिए काफी दूर जाना पड़ता था, क्योंकि क्षेत्र में मुक्तिधाम की व्यवस्था नहीं थी। क्षेत्रवासियों की इस गंभीर समस्या को समझते हुए पार्षद मकसूद खान ने खसरा क्रमांक 45 में स्थित अपनी करीब 4000 वर्गफुट निजी भूमि मुक्तिधाम निर्माण के लिए दान कर दी।

मुक्तिधाम का निर्माण कार्य शुरू

भूमि उपलब्ध होने के बाद नगर परिषद कटंगी के द्वारा मुक्तिधाम निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पार्षद मकसूद खान द्वारा किया गया यह कार्य समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना को मजबूत करने वाला है। उनका यह योगदान आने वाली पीढयों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण रहेगा।

अतिक्रमण कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

कटंगी। वार्ड नंबर 4 बस स्टैंड के पीछे नगर परिषद द्वारा की गयी अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कार्यवाही को अनुचित बताकर एक मांग पत्र मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद कटंगी को सौंपा। जिसमें बताया गया है कि वार्ड नंबर 4 बस स्टैंड के पीछे नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण कार्यवाही कर कई मकानों को तोड़ा गया। कुछ मकान ऐसे भी तोड़े गए जिनको नोटिस भी नहीं दिया गया। एक परिवार के पास शासन द्वारा दिया गया मकान का पट्टा होने के बाद भी उसका मकान तोड़ दिया गया। इसके विरोध में युवा कांग्रेस अध्यक्ष पाटन कटंगी, मझौली विधानसभा ललित सोनी ने मांग की है कि पूर्व में नगर परिषद कटंगी द्वारा आवास योजना के क्वाटर बनाए थे। उन क्वाटरों को पीड़ित परिवारों को दिया जाए।

पीड़िता से 20 लाख रुपए लिए और हो गए लापता

परिजनों ने दर्ज करा रखी है गुमशुदगी की रिपोर्ट

● जबलपुर / राज न्यूज नेटवर्क

नरसिंहपुर गोटेगांव निवासी तीन शातिर आरोपियों ने अपने परिचित की एक नजदीकी रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। आरोपियों ने निवेश के नाम पर पीड़िता से बीस लाख रुपये लिये और फरार हो गये। जिसकी शिकायत विजय नगर थाने में दर्ज करायी गई है। तीनों आरोपियों के खिलाफ जबलपुर, नरसिंहपुर व भोपाल के थानों में प्रकरण दर्ज है। इतना ही नहीं आरोपियों के परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज करा रखी है।

विजय नगर थाना पुलिस ने बताया कि एकता नगर निवासी 35 वर्षीय अंकिता द्विवेदी ने शिकायत दर्ज करायी। जिसमें उन्होंने बताया कि अमिष तिवारी, आयुष तिवारी व तन्मय तिवारी तीनों निवासी गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, द्वारा कार रेंटल व्यवसाय बताकर उसे निवेश करने का प्रस्ताव देते हुए प्रतिमाह सुनिश्चित आय का भरोसा दिलाया। आरोपियों के साथ निकट परिवारिक संबंध होने के कारण उसने आरोपियों पर विश्वास करते हुए बीस लाख रुपये का चेक जनवरी 2025 में दे दिया। राशि कटने के बाद उन्हें जानकारी लगी कि उक्त चैक की राशि नरसिंहपुर निवासी सौरभ श्रीवास्तव को प्राप्त हुई है। जब उन्होंने पतासाजी की तो ज्ञात हुआ कि आरोपियों ने उक्त राशि अपने खाते में प्राप्त की है, लेकिन इसके बाद उन्हें किसी प्रकार का भुगतान आरोपियों ने नहीं किया। इसके बाद 1 फवरी 2026 से आरोपियों ने अपने मोबाईल बंद कर लिये और फरार हो गये। आरोपियों के परिवार द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना माढ़ोताल एवं थाना गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में दर्ज करायी है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला है। इतना ही नहीं तीनों आरोपियों के विरूद्ध अलग-अलग थानों में मामले दर्ज है। जिसमें आयुष तिवारी के विरूद्ध थाना मदनमहल जबलपुर, थाना गाडरवारा जिला नरसिंहपुर, थाना कमला नेहरू जिला भोपाल में एफआईआर दर्ज है।

तीनों आरोपियों के विरुद्ध थाना गढ़ा, एवं थाना हनुमानताल में आयुष तिवारी के विरुद्ध एफआईआर हेतु आवेदन दिया है। उक्त घटनाक्रम से स्पष्ट है कि आरोपियों ने पूर्व नियोजित षड़यंत्र के तहत उसे धोखे में रखकर 20 लाख की ठगी की है। आरोपीगण गाड़ी मालिकों से मंहगी गाडियों को प्राप्त कर उन्हें अच्छे किराये का वादा कर गाड़ी प्राप्त करते थे और उन गाड़ियों को अन्य लोगों के पास अवैध रूप से गिरवी रख देते थे।

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड
(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

AAVAS FINANCERS LTD — SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA

परिशिष्ट-IV-A नियम 8 (6) के लिए देखें अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पूनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्तें व सपठित नियम 8 (6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की ई- नीलामी विक्रय सूचना

आमजन को साधारण तथा ऋणी, सहऋणी व जमानतदार को विशेष रूप से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित बंधक अचल सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा **आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड** के नाम से ज्ञात जो कि आगे **AFL** सन्दर्भित किया जावेगा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था को **''जैसे है जहां है'' एवं जो भी है जैसा भी है** के आधार पर ई-नीलामी द्वारा निम्न तालिका में दर्शित बकाया राशि एवं भविष्य का ब्याज, लागत व शुल्क की वसूली हेतु विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह सूचित किया जाता है ई-नीलामी वेबसाईट **https://sarfaesi.auctiontiger.net** के माध्यम से आयोजित की जावेगी।

ऋण खाता संख्या/ऋणी/सह-ऋणी/ जमानतदार/ बंधककर्त्ता का नाम	बकाया राशि दिनांक	13(2) नोटिस की दिनांक व राशि	कब्जा दिनांक	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	ई-नीलामी की तिथि व समय	ई-निविदा जमा कराने की तिथि	ई-नीलामी निविदा खोलने व जमा कराने का स्थान	सम्पर्क सूत्र, संपत्ति विजिट दिनांक व समय
खाता सं. : LNKTN17723-240331106 **सौरभ सिंह,** अंजली अंजली, आनन्द सिंह	₹ 786864/- बकाया दिनांक 10 जून 2026	11 मई 2025 ₹ 633732/- बकाया दिनांक 08 मई 2025	26 मई 2026	मौजा-खिएहानी (रफी अहमद किदवई वार्ड) एन.बी.-407, पीएच नं-41, तहसील-कटनी, जिला-कटनी, म.प्र. केएच नं. 1524/47, म.प्र. **क्षेत्रफल 2500 वर्ग फीट**	₹ 3440000/-	₹ 344000/-	प्रातः11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दिनांक 18 जुलाई 2026	17 जुलाई 2026 तक या इससे पहले	पहली मंजिल, मीरा स्टोर्स के ऊपर, श्री हॉस्पिटल के सामने, बरगावा, कटनी-483501, मध्य प्रदेश - भारत	सुरेश कुमार- 7877607513 सम्पत्ति का दौरा करने की दिनांक 16 जुलाई 2026 प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक

ई-निलामी बिक्री के नियम और शर्तें:-
(1.) बंधक परिसंपत्ति की ई-नीलामी बिक्री **AFL** सुरक्षित लेनदार द्वारा ''जैसा है, जहां है, ''जैसा है वैसा, ''जो कुछ भी है और'' नो रिकोर्स के आधार पर की जायेगी उक्त सम्पत्ति पर कोई ज्ञात प्रभार नहीं है। **(2.)** ऑनलाइन ई-निलामी की बिक्री में भाग लेने के लिए, बोली दस्तावेज, पैन कार्ड की प्रतियां, कम्पनी और फोटो आईडी, कम्पनी के मामले में बोर्ड रिजोल्यूशन, पते का प्रमाण पत्र ईमएडी के साथ, **जो आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के नाम से देय है, चालू खाता संख्या 00548470000107 AAAVAS FINANCIERS LIMITED** पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर – 302020 **IFSC कोड : HDFC0000054** में जमा करना आवश्यक है, एक बार ऑनलाइन बोली सबमिट करने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। आगे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी ईएमडी को निम्नलिखित ईमेल आईडी यानी **auction@aavas.in** पर रद्द किए गए चेक की कॉपी के साथ **आरटीजीएस/एनईएफटी/डीडी की यूटीआर/रेफरेन्स नंबर/डीडी नं.** भेजने की आवश्यकता होगी। **(3.)** सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि ई-निलामी की बिक्री की कार्यवाही में भाग लेने, जानकारी और शर्तों के लिए **वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net & https://aavas.in/sarfaesi-sale-notices** अवश्य देखें। ई-नीलामी, सहायता प्रक्रिया, ऑनलाईन प्रशिक्षण और अधिक जानकारी के लिए **ई-मेल auction@aavas.in** व **ramprasad@auctiontiger.net , मोबाईल नं. 8000023297** पर सम्पर्क करें। **(आवास सम्पर्क सूत्र : सुरेश कुमार– 7877607513, मोहम्मद कलीम–7849821425)**
नोटः– यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिये नियम 8(6) सहपठित नियम 9(1) के अधीन 30 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा। यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा इस अवधि में नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर विक्रय की जाएगी।

स्थान : मध्य प्रदेश **दिनांक: 13.06.2026** **प्राधिकृत अधिकारी आवास फाईनेंसियर्स लिमिटेड**

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, मंडल कार्यालय , 1227,शालीन हाउस, नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) Email - cs8243@pnb.bank.in

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और जमानतदारों/बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक आधिपत्य/सांकेतिक आधिपत्य (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जो है'', ''जहाँ है'', ''जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों/बंधककर्ताओं से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपये की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशी निम्नलिखित है:

ई-नीलामी दिनांक एवं समय – 07.07.2026 दोपहर12:00 बजे से 05:30 बजे तक (आवश्यक होने पर सायंकल 05:30 बजे के बाद 10 मिनिट के अंतराल का विस्तार किया जाएगा) । ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक 07.07.2026 को सायंकाल 05:30 बजे तक

निविदाकार अपने प्रस्ताव रू. 10000/- (रूपए दस हज़ार मात्र) के गुणांक में बढ़ा सकेंगे

उधारकर्ता/जमानतदार/बंधककर्ता के नाम	अचल संपत्ति/प्रत्याभूत आस्ति का विवरण	अ) मांग सूचना दिनांक ब) आधिपत्य दिनांक स) आधिपत्य प्रकार द) बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) ईएमडी जमा अंतिम दिनांक द) बिड वृद्धि राशि
1. शाखा: व्हीकल फैक्ट्री, जबलपुर (म.प्र.) **(उधारकर्ता एवं बंधककर्ता) 1. श्रीमती विनीता पंत पति श्री मुनीश पंत,** पता 1: 1935, डिफेंस कॉलोनी, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.) - 482001, पता 2: प्लॉट नंबर 61, घाना मेन रोड के पास, तहसील पनागर, जबलपुर (म.प्र.) - 482005, **पता 3 :** सी/ओ पायस हेल्थकेयर, वार्ड नं.73, करमेता, जबलपुर, (म.प्र.) – 482002- **(उधारकर्ता एवं बंधककर्ता) 2. श्री मुनीश पंत पिता श्री मोहन चंद्र पंत,** पता 1: 1935, डिफेंस कॉलोनी, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.) – 482001, पता 2: प्लॉट नंबर 61, घाना मेन रोड के पास, पनागर, जबलपुर (म.प्र.) – 482005, **पता 3 :** सी/ओ पायस हेल्थकेयर, वार्ड नं.73, करमेता, जबलपुर, (म.प्र.)–482002- **खाता संख्या : 324300NC00011276**	अचल संपत्ति के समस्त भू-भाग, अंश व निर्माण सहित प्लॉट नंबर 61, खसरा नंबर 282/2 के भाग पर निजी ले-आउट पर डायवर्टेड भूमि खसरा नंबर 281/2 (रकवा 0.091 हेक्टेयर), खसरा नं. 280/2/5, (रकवा 0.112 हेक्टेयर) एवं खसरा नंबर 282/2 (रकवा 0.112 हेक्टेयर) अर्थात कुल रकवा 0.315 हेक्टेयर, जिसमें से बंधक क्षेत्रफल 20 फीट X 45 फीट = 900 वर्ग फीट (83.64 वर्ग मीटर), मौजा घाना, पटवारी हल्का नंबर 43 (घाना), तहसील पनागर, जिला जबलपुर (म.प्र.), दिनांक 27.12.2021 के पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार, **चतुर्सीमा: उत्तर:** सड़क, **दक्षिण:** करमीत जी की संपत्ति, **पूर्व:** प्लॉट नंबर 62, **पश्चिम:** प्लॉट नंबर 60, **मालिक एवं बंधककर्ता–** श्रीमती विनीता पंत पति श्री मुनीश, पंत और श्री मुनीश पंत पिता श्री मोहन चंद्र पंत, **नीलामी संदर्भ संख्या : PUNB3243000010**	अ) 12.04.2023 ब) 20.12.2024 स) भौतिक आधिपत्य द) रू. 23,61,215.40 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 21,11,000.00 ब) 2,11,100.00 स) 07.07.2026 द) 10,000.00
2. शाखा : वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) **(उधारकर्ता)** **मेसर्स पद्मावती ट्रेडर्स, प्रोप. श्री सालिकराम धाबाले** वार्ड कमांक 12, चतेरा रोड, शीतलामाता मंदिर के पास कटंगी, जिला- बालाघाट (म.प्र.) 481445 **(उधारकर्ता और बंधककर्ता)** **श्री सालिकराम धाबाले पिता श्री श्रीपतराव धाबाले** वार्ड कमांक 12, चतेरा रोड, शीतलामाता मंदिर के पास कटंगी, जिला- बालाघाट (म.प्र.) - 481445 **खाता संख्या: 6419008700000494 और 6419009300000307**	मौजा – सतारा में स्थित आवासीय संपत्ति, पीएच नंबर 10(10/2), आरएनएम और तह – कटंगी, जिला- बालाघाट (म.प्र.), खसरा नंबर 16/13 (नया), 16/3 (पुराना) क्षेत्र 0.022 हेक्टेयर (2400 वर्ग फीट) और 16/17 (नया), 16/03 (पुराना) क्षेत्रफल – 0.008 हेक्टेयर (800 वर्ग फीट), कुल क्षेत्रफल – 0.030 हेक्टेयर (3200 वर्ग फीट) **चतुर्सीमा : (खसरा संख्या 16/17 के लिए) – उत्तर –** विक्रेता की अविकसित भूमि, **दक्षिण –** क्रेता की भूमि, **पूर्व –** अविकसित भूमि, **पश्चिम –** उत्तमचंद की अविकसित भूमि, **चतुर्सीमा : (खसरा संख्या 16/13 के लिए) – उत्तर –** विक्रेता की अविकसित भूमि, **दक्षिण –** श्री संजय लोलेकर की अविकसित भूमि, **पूर्व –** अविकसित भूमि, **पश्चिम –** उत्तमचंद की अविकसित भूमि, **मालिक एवं बंधककर्ता –** श्री सालिकराम धाबाले पिता श्री श्रीपतराव धाबाले **नीलामी संदर्भ संख्या: PUNB0641902**	अ) 26.07.2021 ब) 29.10.2021 स) सांकेतिक आधिपत्य द) रू. 44,67,024.00 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 84,36,000.00 ब) 8,43,600.00 स) 07.07.2026 द) 10,000.00
3. शाखा : जवाहरगंज जबलपुर (म.प्र.) **1.(उधारकर्ता) मेसर्स जे.एम.बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स पार्टनर श्रीमती रुचि तिवारी एवं श्री नितिन तिवारी, पता:** 01, कुमार कॉम्प्लेक्स, गोरखपुर मेन रोड़, कटंगा कॉसिंग के पास, जबलपुर (म.प्र.)–482001 **2.(पार्टनर, जमानतदार और बंधककर्ता) श्री नितिन तिवारी पिता श्री जे.एम. तिवारी, पता:** मकान नं. 1568-69, यादव कॉलोनी, जबलपुर (म.प्र.) 482001, **3.(पार्टनर, जमानतदार और बंधककर्ता) श्रीमती रुचि तिवारी पति श्री नितिन तिवारी, पता:** मकान नं. 1568-69, यादव कॉलोनी, जबलपुर (म.प्र.) 482001, **खाता संख्या : 0217009300073183, DRT SA No. 340/2025**	खसरा नं. 83/1 के भाग पर निर्मित तीन मंजिला आवासीय भवन का समस्त भू-भाग व अंश, क्षेत्रफल 3110.82 वर्ग फीट, (289.11 वर्ग मीटर) मौजा कुंगवा में स्थित, ओजस होम्स , एन.बी.99, पीएच.नं.34, आरएनएम जबलपुर-2, नया वार्ड नं.71, तहसील और जिला जबलपुर (म.प्र.), **चतुर्सीमा: उत्तर:** रोड़, **दक्षिण:** नालंदा स्कूल की खुली भूमि, **पूर्व :** श्री नेमा जी का मकान, **पश्चिम:** सीमा दीवार/खुली भूमि, **मलिक और बंधककर्ता :** मेसर्स जे.एम.बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स तर्फे पार्टनर श्रीमती रुचि तिवारी और श्री नितिन तिवारी **नीलामी संदर्भ संख्या : PUNB0217191224**	अ) 22.07.2024 ब) 27.09.2024 स) सांकेतिक आधिपत्य द) रू. 47,04,596.22 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 93,98,700.00 ब) 9,39,870.00 स) 07.07.2026 द) 10,000.00

संपत्तियों पर भार जिनकी जानकारी प्रतिभूत लेनदार को है: जानकारी उपलब्ध नहीं है

सरफेसी अधिनियम 2002 व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत वैधानिक विक्रय सूचना

नियम एवं शर्तें : (1) विक्रय प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002के नियम व शर्तों के अधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। **(2)** संपत्तियों की बिक्री **''जो है, ''जहाँ है'', ''जो कुछ भी है'' के आधार** पर होगी। **(3)** ऊपर वर्णित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त जानकारी के आधार पर है।किन्तु प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। **(4)** विक्रय अधिकृत ऑन लाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता के द्वारा वेबसाइट **https://baanknet.com** पर दिये गये दिनांक व समय पर किया जाएगा। **(5)** संपत्ति विक्रय से संबंधित नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट **www.pnbindia.in, https://baanknet.com** पर विजिट करें ।

स्थानः जबलपुर, दिनांक 12.06.2026 **पंजाब नेशनल बैंक प्राधिकृत अधिकारी**

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
(आई.एस.ओ.9001:2015,14001:2015 एवं 22000:2018 प्रमाणित संस्था)
म.प्र.सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत संस्था
पंजीयन क्रमांक बी.पी.एल./एच.ओ / 158 दिनांक 9 /12/1977
GSTIN-23AAAAU0051C1ZB PAN No. AAAAU0051C

साँची पैक्ड दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक कार्य हेतु चतुर्थ आवेदन आमंत्रण

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल की एक ईकाई हैं जो साँची ब्राण्ड नाम से पैकेट दूध, दुग्ध उत्पादों, घी का उत्पादन एवं विक्रय करता हैं। दुग्ध संघ अपने कार्यक्षेत्र में साँची पैकेट दूध, दुग्ध उत्पाद एवं साँची के अन्य उत्पाद के विक्रय हेतु **उज्जैन शहर के मार्ग क्रमांक 12** तक वितरक नियुक्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित करता हैं।

वितरक कार्य हेतु आर्थिक रूप से सक्षम, अनुभवी व्यक्ति/संस्था/फर्म जिनके पास मजबूत रिटेल नेटवर्क उपलब्ध हो अथवा बनाने की क्षमता रखते हों आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति/संस्था/फर्म आवेदन प्